राकेश सिंह / सरकार

14.6.21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर शामिल किया गया। प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:— श्री मुकुट सिह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
35/21	10.05.2021	14-6-21

उनवान

1.राकेश सिंह पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी बघेरी कलां तहसील किशनगढबास, जिला अलवर

प्रार्थी:—

बनाम

1.तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास

2.श्री हेमसिंह पुत्र श्री श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी बघेरी कलां तहसील किशनगढबास, जिला अलवर

अप्रार्थीगण:—

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:—

1.श्री जगन सिंह गुर्जर वकील प्रार्थी की ओर से

2.अप्रार्थी की ओर से इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है:—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उप पंजीयक किशनगढबास से दिनांक 09.06.2020 को तबादलानामा/विनिमय विलेख संख्या 202003359100224 पंजीबद्ध कराया था जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 से उक्त तबादलानामा/विनिमय विलेख का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया। परंतु अप्रार्थी संख्या 01 ने अवगत कराया कि पंजीबद्ध विनिमय दस्तावेजो का एल.आर.सी. मे ई–धरती 1.0 पर हिस्से के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना संभव नही हो पा रहा है। प्रार्थी के उक्त दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने पर न्यायालय श्रीमान में यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) किशनगढबास को आदेश दिये जावे कि वो प्रार्थी के द्वारा पंजीवद्ध कराये गये तबादलानामा/विनिमय विलेख के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर मन्जूर करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण ने इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

जबाब में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि संवत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड तबादलानामा/विनिमय विलेख दिनांक 09.06.2020 क्रमांक 202003359100224 के अनुसार व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व राजस्व पत्रादि की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.09.2020 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 786 रकबा 1.2100 हे0 मे से 73/96 हि0, 791 रकबा 0.3200 हे0 मे से 1/2 हि0, 888 रकबा 0.6800 हे0 मे से 25/27 हि0 मे से 300/787 हि0, दर्ज खाता 374, 375, 376 जमाबंदी 2076 राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला अलवर से प्रार्थी राकेश सिंह पुत्र रामलाल गुर्जर, बघेरीकलां खातेदार के नाम हो हजफ/कलमजन किया जाकर, आराजी खसरा नंबर हाल 940 रकबा 0.8000 हे0 में से 1/2 हि0, 942 रकबा 0.2200 हे0 मे से 1/2 हि0, 912 रकबा 0.1500 हे. मे से 1/2 हि0 दर्ज खाता संख्या 620, 617, 619 दर्ज जमाबंदी संवत् 2076 राजस्व ग्राम अलमदीका तथा ख0न0 03 रकबा 0.3800 हे0 सालिम, 46 रकबा 0.3200 हे. सालिम, 47 रकबा 0.2000 हे0 मे से 35/200 हि0 दर्ज खाता न0–473, 474 जमाबंदी वं0 2075 वाके ग्राम बघेरी कलां तहसील किशनगढबास पर अप्रार्थी संख्या 2/हेमसिंह पुत्र श्योनारायण गुर्जर बघेरीकलां खातेदार के स्थान पर प्रार्थी/राकेश सिंह के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड पत्रादि में दर्ज किया जावे तथा इसी कदर खसरा नंबर हाल 940 रकबा 0.8000 हे0 मे से 1/2 हि0, 942 रकबा 0.2200 हे0 मे से 1/2 हि0, 912 रकबा 0.1500 हे0 मे से 1/2 हि0 दर्ज खाता संख्या 620, 617, 619 दर्ज जमाबंदी संवत् 2076 राजस्व ग्राम अलमदीका तथा ख0नं0 03 रकबा 0.3800 हे0 सालिम, 46 रकबा 0.3200 हे0 सालिम, 47 रकबा 0.2000 हे0 में से 35/200 हि0 दर्ज खाता नं0 473, 474 जमाबंदी वं0 2075 वाके ग्राम बघेरीकलां तहसील किशनगढबास से अप्रार्थी संख्या 2/हेमसिंह पुत्र श्योनारायण, गुर्जर बघेरीकलां खातेदार के नाम को हजफ/कलमजन किया जाकर आराजी खसरा नंबर 786 रकबा 1.2100 हे0 में से 73/96 हि0, 791 रकबा 0.3200 हे0 में से 1/2 हि0, 888 रकबा 0.6800 हे0 में से 25/27 हि0 में से 300/787 हिस्सा, दर्ज खाता 374, 375, 376 जमाबंदी 2076 राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास जिला अलवर से प्रार्थी राकेश सिंह पुत्र रामलाल गुर्जर बघेरीकलां खातेदार के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2/हेमसिंह के नाम का अंकन मुताबिक विनिमय विलेख/तबादलानामा दिनांक 09.06.2020 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज वो मन्जूर करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकट सिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ बास (अलवर)

Scanned with CamScanner